

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT 8TH LEVEL, B-WING,
I.P.ESTATE NEW DELHI – 110002

No.F.11(130)/2018/VS/Power/2591

Dated:- 3-8-2018

To

The Dy. Secretary (Legislation),
Question Branch,
Delhi Vidhan Sabha,
Old Secretariat
Delhi – 110054

Sub: Unstarred Question No.57

Sir,

Please find enclosed copy of reply of the Unstarred Question No.57 for 06.08.2018 (100 Copies each along with a data in PDF File Format in pen drive) for your kind information and further necessary action at your end please.

Yours faithfully,

Encl. As above

(Sudhir Sharma)

Dy. Secretary (Power)

Copy to:-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity Department, Delhi Vidhan Sabha, Old Secretariat, Delhi - 110054 (150 Copies)
2. The OSD to Minister of Power, GNCTD

विभाग का नाम :- ऊर्जा विभाग
विभाग का पता :- आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय

अतारांकित प्रश्न संख्या-57

दिनांक :- 06.08.2018

प्रश्नकर्ता श्री महेंद्र गोयल

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है विभाग के पास रिठाला विधान सभा क्षेत्र में विजय विहार चूना मण्डी रोड के पास के मकानों के ऊपर से गुजर रही खतरनां हाई-टेन्शन तार को अंडर ग्राउन्ड करने का कार्य प्रस्तावित है;	जी हों।
ख)	यदि हां, तो इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;	इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव टीपीडीडीएल से 20.10.2017 को प्राप्त हुआ था और उचित कार्यवाही के बाद अरबन डवलपमेंट डिपार्टमेंट को पत्र दिनांक 25.05.2018 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है। पत्र की कॉपी संलग्न है। (संलग्नक 'क')
ग) ✓	इसमें देरी के क्या कारण हैं;	उर्जा विभाग की तरफ से कोई देरी नहीं हुई है।
घ) ✓	विभाग कब तक इस कार्य की राशि एनडीपीएल को दे देगा;	अरबन डवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होने के बाद इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।
ड.)	अनाधिकृत कालोनियों में स्ट्रीट लाईट लगाने के लिए संबंधित एजेंसी को धनराशि किस विभाग द्वारा दी जायेगी;	अनाधिकृत कालोनियों में स्ट्रीट लाईट लगाने के लिए संबंधित एजेंसी को धनराशि अरबन डवलपमेंट विभाग द्वारा जारी की जाती है।
च)	इस वित्त वर्ष में विभाग के पास इस मद में कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है;	यह प्रश्न उर्जा विभाग से सम्बन्धित नहीं है।
छ)	क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों में लगी स्ट्रीट लाईटों के बिल भुगतान बिजली कम्पनियों को दिल्ली नगर निगम द्वारा होता है;	जी हों।
झ)	यदि हां, तो क्या दिल्ली सरकार इस भुगतान के लिए दिल्ली नगर निगमों को कोई अतिरिक्त फण्ड देता है; इसका पूर्ण विवरण क्या है?	जी नहीं।

(वर्षा जोशी)
सचिव (ऊर्जा)

Varsha Joshi
Secretary(Power)

